



पटना नगर निगम

ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, मौयलोक कम्पलेक्स, डाक बंगला रोड, पटना-800001



पत्र संख्या- 4272 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्रीमती सरोज गुप्ता,
पति-श्री मदन मोहन गुप्ता,
शकुन्तला वाटिका, मोहनपुर,
पुनाईचक, पटना, बिहार।
मोबाईल सं0-9801056929

पटना, दिनांक- 04/06/2018 ई0।

विषय:- प्लान केस सं0- P/SaiChak/PRN/G+4/326/2017 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/SaiChak/PRN/G+4/326/2017 दिनांक-02.06.2017 के संदर्भ में श्रीमती सरोज गुप्ता, पति-श्री मदन मोहन गुप्ता, शकुन्तला वाटिका, मोहनपुर, पुनाईचक, पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं0-228 (अंश), खाता संख्या-29, थाना संख्या-32, थाना-बेऊर, तौजी नं0-5068, मौजा-साईचक (न्यू महावीर कॉलोनी), पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 384.91 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 09.00 मीटर से 09.52 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 07.42 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

P.T.O.

- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाषक
 उप निदेशक, शहरी योजना,
 पटना नगर निगम, पटना।

ज्ञापांक- 4272/पटना, दिनांक- 04/06/2018 ई0।

प्रतिलिपि:- योजना की अनुमोदित प्रति के साथ विकास योजना/आयोजना प्राधिकार या किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायतों/महानगर क्षेत्र को सूचनार्थ अग्रसारित।

उप निदेशक, शहरी योजना,
 पटना नगर निगम, पटना।

ज्ञापांक- 4272/पटना, दिनांक- 04/06/2018 ई0।

प्रतिलिपि:- नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन, बिहार, पटना को अग्रसारित।

उप निदेशक, शहरी योजना,
 पटना नगर निगम, पटना।

“बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना”